

HB STOCKHOLDINGS LTD.

Regd. Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurugram -122001 (Haryana) Ph.:0124-4675500, Fax:0124-4370985, E-mail:corporate@hbstockholdings.com Website: www.hbstockholdings.com, CIN:L65929HR1985PLC033936

Date: 24th November, 2025

Listing Centre

The Listing Department BSE Limited, Pheroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 532216

The Vice President
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)

Mumbai – 400 051

Symbol: HBSL

Sub: Newspaper publication regarding special window for re-lodgement of transfer requests of physical shares

Dear Sir / Madam,

In accordance with SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 02nd July, 2025 and in continuation to Newspaper Advertisement(s) published by the Company on 24th July, 2025 and 23rd September, 2025, a special window has been opened for re-lodgement of transfer deeds which were lodged prior to the deadline of 01st April, 2019, and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise.

Pursuant to the aforesaid, the Company has published details of the opening of the special window in editions of the daily newspapers Business Standard (English & Hindi) on 24th November, 2025. Please find enclosed herewith newspaper clippings of the notice.

The copies of the said advertisements are also available on the website of the Company, www.hbstockholdings.com.

You are requested to take the above information on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

For HB Stockholdings Limited

Pooja Jain

Company Secretary & Compliance Officer

M. No. F11719 Encl: As Above

Delivery platform liable for shortfall in quantity

SECTION 4(10) OF

RULES, 2020, CASTS

AN OBLIGATION ON

THE E-COMMERCE

SERVICE PROVIDER

REPLACEMENT OR

REFUND IN CASE OF

THE CONSUMER

PROTECTION

(ECOMMERCE)

TO PROVIDE A

DEFICIENCY IN



CONSUMER PROTECTION

JEHANGIR B GAI

Raja Vikrant Sharma, a law student at Panjab University in Chandigarh, used his mobile app to place an order on Swiggy Instamart on December 30, 2024. He ordered Nestle Classic Milk Chocolate and 1 kg Nagpur oranges, which he intended to carry with him while visiting his maternal aunt. Swiggy levied a

handling fee of ₹28.61. Upon delivery, he found the package containing the oranges to be in a torn condition. He checked the weight and found it to be only 824 grams instead of 1 kilogram. He was not provided any bill for the items purchased.

He immediately raised a concern with Swiggy. However, no refund was given for the

shortfall in quantity. Calls to customer care failed to resolve the grievance. An exasperated Sharma then filed a consumer complaint before the Chandigarh District Consumer Disputes Redressal Commission (district commission). He pointed out that Swiggy failure to resolve his concern caused him considerable mental anguish.

Swiggy contested the case, contending that its app merely provided an electronic platform for facilitating transactions between customers and independent third-party merchants and restaurants that list and sell

food, beverages and grocery items. Swiggy claimed that it was merely an intermediary and had no role in assessing the quality or quantity of any product sold on its platform, and hence it could not be held liable. Swiggy also pointed out that a disclaimer to this effect was incorporated in the terms and conditions on its app and website. It argued that this constituted a binding agreement that absolved it of any liability for any product or service provided through its platform.

Sharma argued his own case in person. The district commission noted that the complaint concerned the torn package and the shortfall in the quantity of oranges. It relied on the transcript of Sharma's chat with Swiggy customer care, which indicated that the grievance was genuine but had not been resolved.

The commission observed that

the invoice established that the products had been sold by Swiggy Instamart as an ecommerce entity. It considered the provisions of Section 4(10) of the Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020, which cast an obligation on the ecommerce service provider to provide a replacement or refund in case of any deficiency in its service.

The commission, therefore, concluded that the company was liable for the deficiency in respect of the ordered quantity of oranges and for failing to refund the amount for the

short delivery. Accordingly, in its order of November 3, 2025, delivered by presiding officer Pawanjit Singh for the Bench along with member SK Sardana, the commission ordered Swiggy to pay ₹2,000 towards compensation. A period of 45 days was given for compliance, and any delay would attract 12 per cent interest.

The writer is a consumer activist

TERRORISM COVERAGE

Check policy wording, seek written confirmation from insurer

Coverage varies across insurers and products, may require a rider, and could come with loadings

The recent blast near the Red Fort in Delhi has highlighted the need for insurance buvers to understand whether their term. health, and home insurance policies cover terrorism risk. Buyers should not take coverage for granted and instead verify policy wording.

Term insurance

Most term policies cover death due to terrorism. "Exclusions apply only in exceptional cases, such as death occurring due to active participation in war, rebellion, extremist activity, or illegal acts — not for innocent civilians caught in an attack," savs Bhavna Verma, chief and appointed actuary, IndiaFirst Life Insurance.

Pradeep Funde, senior vice-president, Anand Rathi Insurance Broking, informs that some older plans excluded terrorism. Most term policies cover it in the base policy (no rider required). The policy must be active (with premiums paid) at the time of the incident.

During purchase, the buyer must disclose if they are in a high-risk job. "Certain high-risk professions or postings combat roles, hazardous occupations require declaration so risk can be assessed properly," says Shilpa Arora, cofounder and chief operating officer, Insurance Samadhan. Lack of disclosure could lead to problems at claim time. Verma informs that these in high-risk professions, such as military personnel, security contractors, divers, pilots, miners and oil-rig workers may be excluded or charged extra.

Coverage may be rejected or premiums increased for those working in high-risk areas. Those travelling to war zones, conflict areas, or sanctioned regions may also zones must check clauses related

face higher premiums.

Understand the policy wording. "Broad exclusions like war or invasion may or may not include terrorism," says Funde.

If a policy excludes war or invasion but is unclear about terrorism, verify before purchasing. "Check definitions and general exclusions to see if terrorism is treated separately," says Verma. Seek written Do those living in high-risk regions confirmation from the insurer. If ambiguity persists, Verma advises going for a policy

here terrorism coverage is clearly stated. Funde urges buyers to review their policies after major life changes or relocations. Arora informs that group term insurance may exclude terrorism coverage, depending on the master policy agreement.

Health insurance

Hospitalisation expenses resulting from terror attacks may be covered on an indemnity basis, subject to policy terms and conditions outlined in policy documents. Coverage differs across insurers and products. "Review the policy for exclusions related to specific inci-

dents or locations," says Alok Agarwal, managing director and chief executive officer, Zurich Kotak General Insurance. Even those living in or travelling to high-risk

KHOSPITALISATION EXPENSES RESULTING FROM TERRORIST ATTACKS MAY BE COVERED ON AN INDEMNITY BASIS. DEPENDING ON THE PRODUCT, AND SUBJECT TO POLICY TERMS

AND CONDITIONS OUTLINED IN THE POLICY DOCUMENTS Alok Agarwal, MD & CEO, Zurich Kotak General Insurance



Key checks to run

- Does the main policy cover victims of terror?
- Or does one have to purchase a rider?
- Are terror incidents covered for those in high-risk professions?
- get coverage?
- Does coverage for high-risk professions or regions come with loading?

to territorial limits and professional hazards.

Understand the definitions of the terms used in the exclusion list, "Reviewing terms such as war, invasion, acts of foreign enemies or hostilities, which often appear in industry exclusion lists, can help avoid surprises at the time of claim," says Agarwal.

"Individuals working in high-risk zones should ask the insurer whether their specific location is on their exclusion

> list, whether the policy covers terrorism where they could be an innocent bystander, and confirm whether their occupation triggers exclusion," says Abhishek Kumar, Securities and Exchange Board of India (Sebi)-registered investment advisor and founder, Sahaj-Money.com. Obtain written

confirmation from the insurer stating that coverage applies to

"When reviewing policy documents, search for any mention of terrorism, war, invasion, civil commotion, riots or hostile acts and check whether terrorism is listed under exclusions," says Kumar.

Never assume terrorism is covered just because there is no specific terrorism exclusion clause. "Ask the insurer for clarity on terrorism cover under their policy and request written confirmation of inclusion or exclusion," says Kumar.

Look for geographic restrictions that specifically name high-risk countries or conflict zones. Finally, identify professional or occupational exclusions that might apply to you.

Home insurance

Most retail home insurance policies do not automatically include terrorism cover unless the insured opts for a terrorism add-on. Some comprehensive packages may provide terrorism cover. Wording varies across insurers.

"For retail customers, terrorism is usually provided through a rider to home insurance. Premiums are modest," says Narendra Bharindwal, president, Insurance Brokers Association of India (IBAI).

Coverage does not apply to general unrest. Damage must be caused directly by the terror event. Sub-limits or deductibles may apply. "Losses due to contamination, biological, chemical, or nuclear attacks are typically excluded unless explicitly covered," says Bharindwal.

Insurers may exclude high-risk zones like border districts, Naxal-affected areas, and high-conflict regions. Certain professional categories, such as defence establishments or hazardous industries, may require underwriting approval.

Buyers should seek written confirmation if the wording regarding terrorism appears ambiguous. "If a policy merely lists war or invasion as exclusions without mentioning terrorism, it is safer to assume that terrorism is not covered unless explicitly stated," Bharindwal.

Finally, do buy terrorism cover as the cost of adding it is small: ₹0.07 per thousand sum insured for dwellings.

The writer is a Mumbai-based specific independent journalist

HB LEASING AND FINANCE COMPANY LIMITED CIN: L65910HR1982PLC034071 Registered Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area Sector 32, Gurugram-122001, Haryana

Ph.: + 91-124-4675500, Fax No.: + 91-124-4370985

E-mail: corporate@hbleasing.com, **Website**: www.hbleasing.com SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER

REQUESTS OF PHYSICAL SHARES In accordance with SEBI Circular no. SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, shareholders of HB Leasing and Finance Company Limited are hereby informed that a special window has been opened from July 07, 2025 to January 06 2026, for re-lodgement of transfer deeds.

Shareholders are to note that this window is only for re-lodgement of transfer deeds which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 for transfer of physical shares and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/o

Since the transferred shares will be issued only in demat mode once all the documents are found in order by the Company / RTA, the transferee(s) must have a demat account and need to provide a copy of its Client Master List (CML), along with the requisite documents, while lodging the documents for transfer with the Company/RTA. Shareholders who have missed the earlier extended deadline of March 31, 2021 [the

off date for re-lodgement of tr the necessary documents to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e, RCMC Share Registry Private Limited at Investor.services@rcmcdelhi.com or their office address at B-25/1, First Floor, Okhla Industrial Area Phase 2, New Delhi. India, 110020, Tel: 011-35020465,66.

The Company's website, www.hbleasing.com, has been updated with the details regarding the opening of this special window and further updates if any, shall be

For HB Leasing & Finance Company Limited

Date: November 22, 2025

(Company Secretary) Place: Gurugram Membership No. A75337

HB ESTATE DEVELOPERS LIMITED

CIN: L99999HR1994PLC034146
Registered Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana Ph.: + 91-124-4675500, Fax No.: + 91-124-4370985 SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

In accordance with SEBI Circular no. SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, shareholders of **HB Estate Developers Limited** are hereby informed that a special window has been opened from July 07, 2025 to January 06, 2026, for re odgement of transfer deeds

Shareholders are to note that this window is only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 for transfer of physical shares, and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or

Since the transferred shares will be issued only in demat mode once all the documents are found in order by the Company / RTA, the transferee(s) must have a demat account and need to provide a copy of its Client Master List (CML), along with the requisite documents, while lodging the documents for transfer with the Company/RTA.

Shareholders who have missed the earlier extended deadline of March 31, 2021 [the the necessary documents to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e, RCMC Share Registry Private Limited at investor.services@rcmcdelhi.com or their office address at B-25/1, First Floor, Okhla Industrial Area Phase 2, New Delhi India, 110020, Tel: 011-35020465,66,

The Company's website, www.hbestate.com, has been updated with the details regarding the opening of this special window and further updates if any, shall be

NVK Rao

Date: November 22, 2025

Shahbaz Khan

Place : Gurugram **Company Secretary and Compliance Officer**

HB PORTFOLIO LIMITED

CIN: L67120HR1994PLC034148 Registered Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area

Sector 32, Gurugram-122001, Haryana **Phone**: + 91-124-4675500, **Fax**: + 91-124-4370985 E-mail: corporate@hbportfolio.com, Website: www.hbportfolio.com

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

In accordance with SEBI Circular no. SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, shareholders of HB Portfolio Limited are hereby informed that a special window has been opened from July 07, 2025 to January 06, 2026, for re-lodgement of transfer deeds.

Shareholders are to note that this window is only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 for transfer of physical shares, and rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or

Since the transferred shares will be issued only in demat mode once all the documents are found in order by the Company / RTA, the transferee(s) must have a demat account and need to provide a copy of its Client Master List (CML), along with the requisite documents, while lodging the documents for transfer with the Company/RTA.

Shareholders who have missed the earlier extended deadline of March 31, 2021 [the cutnecessary documents to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e RCMC Share Registry Private Limited at investor.services@rcmcdelhi.com or their office address at B-25/1, First Floor, Okhla Industrial Area Phase 2, New Delhi, India, 110020. Tel: 011-35020465.66.

The Company's website, www.hbportfolio.com, has been updated with the details regarding the opening of this special window and further updates if any, shall be uploaded

Existing Options

Date: November 22, 2025 Place: Gurugram

Place: Chennai

Meenu Papreia Company Secretary and Compliance Officer

HB STOCKHOLDINGS LIMITED CIN: L65929HR1985PLC033936 Registered Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area,

Sector 32, Gurugram-122001, Haryana

Ph.: + 91-124-4675500, Fax No.: + 91-124-4370985

 $\textbf{E-mail}: \underline{corporate@hbstockholdings.com}, \textbf{Website}: \underline{www.hbstockholdings.com}$ SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

In accordance with SEBI Circular no. SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02. 2025, shareholders of HB Stockholdings Limited are hereby informed that a special window has been opened from July 07, 2025 to January 06, 2026, for re-Shareholders are to note that this window is only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 for transfer of physical shares,

Since the transferred shares will be issued only in demat mode once all the documents are found in order by the Company / RTA, the transferee(s) must have a demat account

and need to provide a copy of its Client Master List (CML), along with the requisite documents, while lodging the documents for transfer with the Company/RTA Shareholders who have missed the earlier extended deadline of March 31, 2021 [the

cut-off date for re-lodgement of transfer deeds] can avail this opportunity by furnishing the necessary documents to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e, RCMC Share Registry Private Limited at investor.services@rcmcdelhi.com or their office address at B-25/1, First Floor, Okhla Industrial Area Phase 2, New Delhi, India, 110020, Tel: 011-35020465,66.

The Company's website, www.hbstockholdings.com, has been updated with the details regarding the opening of this special window and further updates if any, shall be

Proposed Options

found to be KYC non-compliant or without a valid PAN, the IDCW amount will be automatically

Pooia Jain

Date: November 22, 2025 Place: Gurugram

Notice – cum – Addendum to the Scheme Information Document / Key information

R Ajith Kumar

Company Secretary and Compliance Officer

When industry giants speak, everyone listens. In-depth Q&As with market mavens - every Monday in Business Standard. To book your copy, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

Business Standard Insight Out

SUNDARAM MUTUAL Sundaram Finance Group

Introduction of IDCW • Growth

Memorandum / Statement of Additional Information of schemes of Sundaram Mutual.

Growth

Investors are hereby informed that Sundaram Trustee Company Limited, the Trustee to Sundaram Mutual Fund has decided to Introduce IDCW Reinvestment & Transfer Option in Sundaram Value Fund scheme of Sundaram Mutual with effect from 01/12/2025

		Option at the time of submitting the application form, the following defaults shall be applicable:		IDCW Sub Option: Payout, Reinvestment & Transfer If the investor does not choose Option or Sub-Option at the time of submitting the application form, the following defaults shall be applicable: If no option is indicated, the default option will be
		Option/Sub-option	Default option/	Growth.
			Sub-Option	If an investor chooses the IDCW Option but fails to
		Option: Not mentioned	Option: Growth	indicate a sub option, the default sub-option shall
		Sub-option: Not mentioned	Sub-option: Not Applicable	IDCW Transfer (Default destination Scheme- Sundayara Liquid Fund Growth Option) when
		Option: IDCW	Option: IDCW	Sundaram Liquid Fund -Growth Option), when the IDCW payable is Rs. 500 or more
		Sub-option: Not mentioned	Sub-option: Payout	IDCW Reinvestment in the same scheme when
		All plans and options availa scheme shall have a comm detailed disclosure on defa kindly refer SAI.	on portfolio for	IDCW payable is less than Rs.500. In case of IDCW payout, where the IDCW payable is Rs.500/- or more, the IDCW will be paid to the Investor registered Bank account in the folio and will be reinvested when the IDCW payable is less than Rs.500/
				If an investor has opted for IDCW payout and is

swept into the Sundaram Unclaimed Fund. In view of the above, relevant changes will be carried out in the SID and KIM of the abovementioned Scheme. All other terms and conditions of the Scheme Information Document(s) / Key Information Memorandum(s) / Statement of Additional Information

This addendum forms an integral part of the Scheme Information Document (SID) / Key Information Memorandum (KIM) / Statement of Additional

Information (SAI) of the schemes of Sundaram Mutual Fund as amended from time to time. For Sundaram Asset Management Company Ltd

Date: November 24, 2025 For more information please contact:

Sundaram Asset Management Company Ltd (Investment Manager to Sundaram Mutual Fund

CIN: U93090TN1996PLC034615

Company Secretary & Compliance Officer Corporate Office: 1st & 2nd Floor, Sundaram Towers, 46, Whites Road,

Royapettah, Chennai-14. Contact No. (India) 1860 425 7237, (NRI) +91 40 2345 2215 www.sundarammutual.com No. 21, Patullos Road, Chennai 600 002.

Regd. Office: Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Navigate markets with focused insight.

Get daily sector trends. market movers, and sharp insights every day with The Compass in **Business Standard**

To book your copy, SMS reachbs to **57575** or email order@bsmail.in



Business Standard Insight Out

ा एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

CIN: L65910HR1982PLC034071 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरूग्राम-122001, हरियाणा फोन: + 91-124-4675500, फैक्स नं. : + 91-124-4370985

ई-मेल : corporate@hbleasing.com, वेबसाइट : www.hbleasing.com भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए

विशेष विंडो दिनांकित 02 जुलाई, 2025 के अनुसार, **एचबी लीजिंग ऐण्ड फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड** के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि हस्तांतरण विलेख पुनः प्रस्तुत करने के लिए 07 जुलाई 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक एक विशेष विंडो खोली गई है।

. अयरधारक नोट करें कि यह विंद्रो केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पन: प्रस्तुत करने के लिए है जो भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए 01 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले प्रस्तुत किए गए थे. और दस्तावेजों / प्रक्रिया / में अथवा अन्य कमी के कारण अस्वीकृत / वापस कर दिए ग

चूंकि इस्तांतरित शेयर कम्पनी / आरटीए द्वारा सभी दस्तावेज़ सही पाए जाने के बाद ही केवल डोमेंट मोड में जारी किए जाएंगे, इसलिए हस्तांतरिती के पास एक डीमेंट खाता होना चाहिए और कम्पनी / आरटीए के पास स्थानांतरण के लिए दस्तावेज जमा करते समय आवृश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी क्लाइंट मास्टर सूची (सीएमएल) की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी।

जो शेयरधारक 31 मार्च, 2021 (हस्तांतरण विलेख पुनः जमा करने की कट–ऑफ तिथि) की पूर्व विस्तारित समय सीमा से चूक गए हैं, वे कम्पनी के रिजस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट नामत अपसीएमसी शेयर रिजस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को <mark>investor.services@cmcdelhi.com</mark> पर य उनके कार्यालय पते, बी–25 / 1, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज 2, नई दिल्ली, भारत 110020, फोन : 011—35020465,66 पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके इस अवसर का लाभ

इस विशेष विंडो के खुलने से संबंधित विवरण कम्पनी की वेबसाइट <u>www.hbleasing.com</u> पर अपडेट कर दिए गए हैं और यदि कोई और नई जानकारी होगी, तो उसमें अपलोड कर दी कृते एचबी लीजिंग ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

तिथि : नवम्बर 22, 2025

स्थान : गुरूग्राम

शाहबाज खान (कम्पनी सचिव) Membership No. A75337

प्र एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड

CIN: L65929HR1985PLC033936 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया,

सैक्टर-32. गरूग्राम-122001. हरियाणा **फोन** : + 91-124-4675500, फेक्स नं. : + 91-124-4370985

ई.मेल : corporate@hbstockholdings.com, वेबसाइट : www.hbstockholdings.com भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए

परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी-पीओडी / पी / सीआईआर / 2025 / 97 दिनांकित 02 जुलाई, 2025 के अनुसार, **एवबी स्टॉकहोत्लिंग्स लिमिटेड** के शेयरचारकों को सूचित किया जाता है कि हस्तांतरण विलेख पुनः प्रस्तुत करने के लिए 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक एक विशेष विंडो खोली गई है।

शेयरधारक नोट करें कि यह विंडो केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए है, जो भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए 01 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले प्रस्तुत किए गए थे, और . इस्तावेजों / प्रक्रिया / में अथ्वा अन्य कमी के कारण अस्वीकृत / वापस कर दिए गए थे / उन पर ध्यान नहीं दिया गया।

चंकि हस्तांतरित शेयर कम्पनी / आरटीए द्वारा सभी दस्तावेज सही पाए जाने के बाद ही केवल डीमैंट मोंड में जारी किए जाएंगे, इसलिए हस्तांतरिती के पास एक डीमैट खाता होना चाहिए और कम्पनी / आरटीए के पास स्थानांतरण के लिए दस्तावेज जमा करते समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी क्लाइंट मास्टर सूची (सीएमएल) की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी।

जो शेयरघारक 31 मार्च, 2021 (हस्तांतरण विलेख पुनः जमा करने की कट–ऑफ तिथि) की पूर्व विस्तारित समय सीमा से चूक गए हैं, वे कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट नामतः आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को <u>investor.services@rcmcdelhi.com</u> पर या उनके कार्यालय पते, बी—25 / 1, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज 2, नई दिल्ली, भारत 110020, फोन: 011-35020465,66 पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके इस अवसर का लाभ उठ

इस विशेष विंडो के खुलने से संबंधित विवरण कम्पनी की वेबसाइट <u>www.hbstockholdings.com</u> प अपडेट कर दिए गए हैं और यदि कोई और नई जानकारी होगी, तो उसमें अपलोड कर र्द

कृते एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड

तिथि : नवम्बर 22, 2025 (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी) स्थान : गुरूग्राम

💶 एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड

CIN: L99999HR1994PLC034146 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिय

सैक्टर-32, गुरूग्राम-122001, हरियाणा **फोन**: + 91-124-4675500, फेक्स नं. : + 91-124-4370985

ई-मेल : corporate@hbestate.com, वेबसाइट : www.hbestate.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो

सेबी परिपन्न संख्या सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी—पीओडी / पी / सीआईआर / 2025 / 9 दिनांकित 02 जुलाई, 2025 के अनुसार, **एचबी एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड** के शेयरधारकों क सूचित किया जाता है कि हस्तांतरण विलेख पुनः प्रस्तुत करने के लिए 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक एक विशेष विंडो खोली गई है। शेयरधारक नोट करें कि यह विंडो केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पूनः प्रस्तूत करने के लिए है

थे, और दस्तावेजों / प्रक्रिया / में अथ्वा अन्य कमी के कारण अस्वीकृत / वापस कर दिए गए थे / उन पर ध्यान नहीं दिया गया। चूंकि हस्तांतरित शेयर कम्पनी / आरटीए द्वारा सभी दस्तावेज़ सही पाए जाने के बाद ही केवल डीमेट मोड में जारी किए जाएंगे, इसलिए हस्तांतरिती के पास एक डीमेट खाता होना चाहिए और कम्पनी / आरटीए के पास स्थानांतरण के लिए दस्तावेज जमा करते समय आवश्यक दस्तावेजों के

जो भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए 01 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले प्रस्तुत किए गए

साथ अपनी क्लाइंट मास्टर सूची (सीएमएल) की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी। जो शेयरधारक 31 मार्च, 2021 (हस्तांतरण विलेख पुनः जमा करने की कट—ऑफ तिथि) की पूर्व विस्तारित समय सीमा से चूक गए हैं, वे कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट नामतः आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को <u>investor.services@rcmcdelhi.com</u> पर या उनके कार्यालय पते, बी—25/1, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज 2, नई दिल्ली, भारत 110020, फोन : 011—35020465,66 पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके इस अवसर का ला

इस विशेष विंडो के खुलने से संबंधित विवरण कम्पनी की वेबसाइट **www.hbestate.com** प अपडेट कर दिए गए हैं और यदि कोई और नई जानकारी होगी, तो उसमें अपलोड कर दी

कृते एचबी एस्टेट डवलपर्स लिमिटेड

एनवीके राव

स्थान : गुरूग्राम (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

<u>्रिष्टिक सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड टाल: प671006J2015PTC083994</u> महला मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई -400038 ईमेलः ram-jaluka@cfmarc-in संपर्कः 022-40055282/8976862752 कद्जे की सूचना

"फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने 21 मार्च 2025 के असाइनमेंट डीड के जरिए सीएफएम एसेट रिकस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ऋण सौंप दिया है। चूंकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रवशन कंपनी (सीएफएम एआरसी) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ताओं/ बंधककर्ताओं/गारण्टर को देय राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है। उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सीएफएमएआरसी द्वारा नीचे उल्लिखित राशि के साथ-साथ उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क और व्यय आदि (मांग नोटिस जारी होने के बाद से भुगतान की गई राशि को घटाकर, यदि कोई हो) के अधीन होगा। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सरक्षित आस्तियों को भनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। LAN नंबर उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटर मांग नोटिस की तिथि और राशि बंधक संपत्ति के कब्जे का विवरण।

ऋणी ⁄ सह-ऋणी एवं गारण्टर का नाम एवं पता	मांग नोटिस की तिथि और राशि	कब्जे की तिथि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता संख्या) 6018098, जमालुद्दीन (ऋणी), साहीदान (सहऋणी∕ बंधककर्ता)	27.05.2025 Rs. 4,01,661/- चार लाख एक हजार छ: सौ इकसठ रूपये मात्र 31.03.2025 तक	19 -नवम्बर- 25	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्रक्वर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित खसरा नं. 92 कुल 25/2549, 127 का भाग कनाल 09 मारला स्थित ग्राम खोरी जमालपुर, उप तहसील थोज, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, 121004, क्षेत्रफल 1360 वर्गफीट, पूर्वः रोड, पश्चिमः रोड, उत्तरः जुम्मा कीसंपत्ति, दक्षिणः जुम्मा की संपत्ति
दिनांकः २२.११.२०२५ स्थानः फरीदाबाद, हरियाणा			प्राधिकृत अधिकारी सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रवशन प्राइवेट लिमिटेड [सीएफएमएआरसी द्रस्ट — 159 के द्रस्टी के राप में कार्यरत]

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्याः: 201–202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्ववायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020



जबिक अधोहस्ताक्षरकर्ता **आवास फाइनेंस्यर्स लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनगंठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन) नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र अधिनियम 2002'' की धारा 13 (12) और सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दर्शाए अनुसार राशिका मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भुगतान करने में विफल रहे अत: ऋणीयों तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उन्तर एक्ट की धारा 13(4) सूहपठित नियम 9 के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दर्शाई गुई दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानतियों को

ऋणी का नाम	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीस एवं प्रकार
सुखराम गाँर्य, तरूण तरूण, सुनिता एसमाँर्य खाता सं. 221202902425726 व 221202902426901	6 अगस्त 2025 ₹ 3028472/- व ₹ 2654549/- 4 अगस्त 2025	पूरी दूसरी व तीसरी मंजिल सम्पत्ति नं. 210 केएच नं. 502/348 लाल डोरा की आबादी, गांव पीतमपुरा दिल्ली (भारत)-110034 क्षेत्रफल 82.70 वर्ग मीटर	सांकेतिक कब्जा दिनांक 20 नवम्बर 2025
अंतरिक्ष जाटव, अजय कुमार, सुमन लता जमानतदार : डेल्टा इन्फ्रास्ट्रक्चरकम्पनी खाता सं. LNDEL10222-230273823 व LNDEL02122-230273357	6 जून 2025 ₹ 3638390/- व ₹ 2555967/- 4 जून 2025	प्लॉट नं. 10ए/77, अपर ग्राउण्ड फ्लोर (बिना छत अधिकार के), सेक्टर 10-ए, वसुन्धरा में रिथत, तहसील व जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012 क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर	सांकेतिक कब्जा दिनांक 20 नवम्बर 2025
LNDEL02122-230273357 स्थान : दिल्ली दिनांक : 2	4-11-2025	प्राधिकृत अधिकारी आवास फा इनें	<u>F</u>

आधार हाउसिंग फायवेंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069. गाजियाबाद शाखा: ओपीएस प्लाजा, तीसरी मंजिल, बी-2, आरडीसी, राज नगर, गाजियाबाद - 201002 (उत्तर प्रदेश)



ई-नीलामी - बिक्री सचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सुचना। इसके द्वारा सामान्य रूप से सर्वसाधाण को और विशेष रूप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ऑ) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को 'जै**सा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है**' बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है: –

क्रं	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो)/ जमानतदार दिनांक एवं		आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1	(लोन कोड नं. 02900001404 / गाजियाबाद शाखा) तंजीम मियां (ऋणी), मो. फैसल खान (जमानतदार) 08-11-20 & ₹ 9,63,5	नं. एफएफ ०1, प्रथम मंजिल, ग्राम छिपानियां बुर्जुग तहसील दादरी, गौतमबद्ध नगर. उत्तर प्रदेश २०1३०1	₹ 10,12,500/-	₹ 1,01,250/-	भौतिक

- 1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि 29-12-2025 शाम 5:00 बजे तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या https://bankeauctions.com पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि 30-12-2025 दोपहर 03.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक https://bankeauctions.com पर है। 3. जैसा कि उमर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर
- की जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए।
- 5. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट https://bankeauctions.com के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें।
- 6. इच्छुक बोलीदाताओं को https://bankeauctions.com/registration/ signup, लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट https://bankeauctions.com के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेंड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
- 7. अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **शुभम राणा संपर्क नंबर 9719111790** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **श्री** प्रभाकरन, मोबाईल नं. +91-74182-81709, ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com, फोन नं. +917291981124 /25 /26 से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल / एएचएफएल के प्राधिकत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों /सरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने. हस्तांतरित करने और /या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और /य
- 8. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋगदाता की वेबसाइट यानी www.aadharhousing.com पर दिए गए
- नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि रु. 10,000/- है।
- 10. यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, वाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रूप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी मीध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनिधकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान : उत्तर प्रदेश दिनांक : 24–11–2025

पाधिकत अधिकारी आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

प्य एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड CIN: L67120HR1994PLC034148

सैक्टर-32, गुरूग्राम-122001, हरियाणा

फोन: + 91-124-4675500, फैक्स : + 91-124-4370985 ई-मेल : corporate@hbportfolio.com, वेबसाइट : www.hbportfolio.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी—पीओडी / पी / सीआईआर / 2025 / 9 दिनांकित 02 जुलाई, 2025 के अनुसार, **एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड** के शेयरचारकों को सूचित किया जाता है कि हस्तांतरण विलेख पुनः प्रस्तुत करने के लिए 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी 2026 तक एक विशेष विंडो खोली गई है।

शेयरधारक नोट करें कि यह विंडो केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए है, जो भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए 01 अप्रैल. 2019 की समय सीमा से पहले प्रस्तुत किए गए थे और दस्तावेजों / प्रक्रिया / में अथवा अन्य कमी के कारण अस्वीकृत / वापस कर दिए गए थे / उन पर ध्यान नहीं दिया गया था।

चूंकि इस्तांतरित शेयर कम्पनी / आरटीए द्वारा सभी दस्तावेज सही पाए जाने के बाद केवल डीमैट मोड में जारी किए जाएंगे, इसलिए हस्तांतरिती के पास एक डीमैट खाता होना चाहिए और कम्पनी / आरटीए के पास स्थानांतरण के लिए दस्तावेज जमा करते समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी क्लाइंट मास्टर सूची (सीएमएल) की एक प्रति उपलब्ध करानी होगी।

साथ अपना वसीहट नास्टर सूचा (लारमेर्डा) को एक आत उपलब्ध कराना होगा। जो शेयरहारक 31 मार्च, 2021 (हस्तांतरण विलेख पुनः जमा करने की कट—ऑफ तिथि) की पूर्व विस्तारित समय सीमा से चूक गए हैं, वे कम्पनी के रिजस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट नामतः आरसीएमसी शेयर रिजस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को <u>investor.services@rcmcdelhi.com</u> पर या उनके कार्यालय पते, बी–25/1, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेजू 2, नई दिल्ली, भारत, 110020, फोन : 011-35020465,66 पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके इस अवसर का लाग उठा सकते हैं।

इस विशेष विंडो के खुलने से संबंधित विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.hbportfolio.com पर अपडेट कर दिए गए हैं और यदि कोई और नई जानकारी होगी, तो उसमें अपलोड कर दी जाएगी

कृते एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड हस्ता./ मीनू पपरेजा

बकाया राशि

रु. 13,13,931/-

दिनांक 12.08.2025 तक प्लस उस पर ब्याज

कब्जा सूचना की तिथि

12.08.2025 20.11.2025

तिथि : नवम्बर 22, 2025 स्थान : गुरूग्राम

की ओर आकर्षित किया जाता है।

लैन नं. /कर्जदार/गारंटर का नाम

DL/RUK/ROKE/A00000148, श्री आरती दीपक सी/ुओ

ोपक, श्री दीपक कुमार पुत्र रामलाल, सीसाउना, भागवानपुर, हरिद्वार उत्तराखंड — 247661

DL/RUK/ROKE/A000000368, श्री सलमान सलमान, श्रीमती

तिथि : नवम्बर 22, 2025

(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

कब्जा सूचना जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम व प्रवर्तन के अधीन हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था। कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है. इसलिए एतददारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने दसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कहना जक्त अधिनियम की धारा 13(4) जक्त नियम के नियम ह के साथ पटित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतददारा जक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन हिंदजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा

अचल संपत्ति का विवरणः पूर्व में 28 फीट, पश्चिम में 28 फीट, उत्तर में 30 फीट, दक्षिण में	i 30 फीट कुल क्षेत्रफल			
840 वर्ग फीट या 78.067 वर्ग मीटर भूमि के भूखंड पर निर्मित एक मकान, खसरा सं				
संबंधित, गांव सिसौना मुस्तहकम (सुभाषे नगर केॉलोनी) परगना और तहसील भगवानपुर जिले हरिद्वार सीमाएं:				
पूर्वः योगेश का प्लॉट, पश्चिमः रास्तो 14 फीट चौड़ा, उत्तरः मुतयाज का प्लॉट, दक्षिणः रास्ता 14 फीट चौड़ा				
DI /DIII//DOKE/A00000400 12 08 2025	TE 10 12 412/			

K/ROKE/A000000198, श्री दीपक पुंडीर पुत्र रव. श्र्र , सुश्री जूली दीपक, इंद्रा गांधी कॉलोनी, पेपर मिल माता मंदिर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश — 247001 अचल संपत्ति का विवरणः जमीन का एक प्लॉट. पर्व में 26.40 फीट. पश्चिम में 26.40 फीट. उत्तर में 37.85 फी

अवल संपत्ति का विवरणः जमान का एक प्लाट, पूव म 28.40 फाट, पारचन न 28.40 फाट, उत्तर न 37.30 दक्षिण में 37.88 फीट, कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट या 92.83 वर्ग मीसट, खसरा संख्या –166 के मान से संबंधि गाँव बावली कलंजरी परगना और तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित हैं| सीमाएँ: पूर्वः अन्य का प्लॉ . DL/RUK/ROKE/A000000336, श्री अमित तोमर, श्रीमती कुसुम सहदेव_. श्री सहदेव सिंह, मकान नं. 777ए, शिवपुरम रहीमपुर, रुड़की,

अचल संपत्ति का विवरणः भूमि का एक प्लॉट, निजी प्लॉट संख्या 21, पूर्व में 20.7 फीट, पश्चिम में 20.7 फीट,
उत्तर में 39.8 फीट, दक्षिण में 39.8 फीट, कुल क्षेत्रफल 823.86 वर्ग फीट या 76.56 वर्ग मीटर, खसरा संख्या
—166 के भाग से संबंधित, गाँव बावली कलंजरी परगना और तहसील रुडकी जिला हरिद्वार में स्थित है। सीमाएँ:
पूर्वः अन्य का प्लॉट, पश्चिमः रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तरः विक्रेता का प्लॉट, दक्षिणः अन्य की भूमि

शेखपुर, ग्राम बिलासपुर, परगना नागल त सहारनपुर, उत्तर प्रदेश — 247551 परगना नागल तहसील देवबंद. अचल संपत्ति का विवरणः एक आवासीय भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 205.018 वर्ग मीटर है, खसरा संख्या 34 से संबंधित, गाँव बिलासपर शेखपर तहसील देवबंद जिले सहारनपर सीमाएं, पर्वः जमशेदा की जमीन, पश्चि

बबीता की जमीन, उत्तरः बबीता की जमीन, दक्षिणः झबरेरा रोड (म		iai an onin, acan
DL/RUK/ROKE/A000000580, श्री विशाल कुमार, श्रीमती	12.08.2025	रु. 6,67,300/-
मीनाक्षी, प्लॉट नंबर–01, फतेहपुर भादो, छुटमलपुर, सहारनपुर, उत्तर	20.11.2025	दिनांक 12.08.2025 तक

देवी, नानोता, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 247452 ाचल संपत्ति का विवरणः एक आवासीय प्लॉट संख्या—20, पश्चिम की ओर, कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग गज या 84.0 वर्ग मीटर, जिसका माप पूर्व में-22 फीट 6 इंच, पश्चिम में-22 फीट 6 इंच, उत्तर में-40 फीट, दक्षिण में-4 फीट, चक का संबंधित सं.—412 भाग, खसरा सं.—575 और 576 / 1 और 576 / 2 और 577, नानौता पट दोय

	बैरून हदूद, परगना–रामपुर, तहसील–रामपुर मनिहारान, जिला मीटर चौड़ा, पश्चिमः खेत सोमपाल, उत्तरः प्लॉट रीता, दक्षिणः प्लं		रास्ता 20 फीट या 6.10
7.	UP/VKN/VKSH/A000000244, श्री संजू संजू श्रीमती सोनिया, मेहुवाला खालासा अंबारी, देहरादून, उत्तराखंड – 248125	12.08.2025 21.11.2025 सांकेतिक	रु. 12,25,576/- दिनांक 12.08.2025 तक प्लस उस पर ब्याज

		अचल संपत्ति का विवरणः भूमि खाता खतौनी सं. 151 और खसर	। सं. ३०९केएच का भाग,	कुल क्षेत्रफल 1800 वर्ग	
		फीट या 200 वर्ग गज अर्थात 167.28 वर्ग मी. मौजा कुंजा ग्रांट, त	ाहसील विकासनगर, जि	ला देहरादून, उत्तराखंड	
सीमाएं: पूर्वः श्यामो देवी की जमीन, पश्चिमः मंगतू की जमीन, उत्तरः 10 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः मंगर				ाडक, दक्षिणः मंगत् की	
	जमीन				
	8.	UT/UTK/DHON/A000001831. श्री अजय कमार श्रीमती	12.08.2025	रु. 10,99,746/-	

मोहरकली, पुष्पा विहार कॉलोनी, जनता कॉलोनी रोड, महीपुरा चौक,	21.11.2025	दिनाक 12.08.2025 तक			
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश — 247001	सांकेतिक	प्लस उस पर ब्याज			
नंबर PV/7 से जुड़ा और गांव चकहरेटी, तहसील और जिला सह	अचल संपत्ति का विवरणः रिहायशी संपत्ति जिसका कुल क्षेत्रफण 52.26 वर्ग मी., खसरा नंबर 48 और नगर निगम नंबर PV/7 से जुड़ा और गांव चकहरेटी, तहसील और जिला सहारनपुर दार आबादी पुष्पा विहार कॉलोनी में हैं। सीमाएं: पूर्व: प्लॉट नंबर 71, परिवमः कमल पांचाल का प्लॉट, उत्तरः प्लॉट नंबर 56, दक्षिणः 20 फीट चौड़ी सड़क				

नांक : 24.11.2025 नाचः . २५.।।.२७२२, भानः : सहारनपुर (यूपी), हरिद्वार (उत्तराखंड)